FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प पटेल नगर

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
बगदाराम		परमेश्वर वगैराह

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या—159/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18.11.2021	प्रार्थी बगदाराम पुत्र जोगाराम जाति मेघवाल निवासी हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प पटेल नगर में धारा—88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पटेल नगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1488 रकबा 0.8009 हैक्टेयर खातेदारी की आयी हुयी है। उक्त खातेदारी भूमि वादी के पिता जोगाराम पुत्र पुनाराम मघवाल की थी। वादी के पिता जोगाराम 1/8 वां हिस्सा निहित था वादी के पिता जोगाराम का देहान्त सन् 1993 में हो गया, उनके देहान्त का फौतेदगी नामांन्तकरण संख्या 147 स्वीकृत किया गया उसमें जोगाराम का एक पुत्र बगदाराम तथा पत्नी जमूडी देवी के अलावा परमेश्वर का नाम दर्ज कर दिया जबकि जोगाराम का जायन्दा पुत्र बगदाराम व उसकी पत्नी जमूडी थे लेकिन राजस्व कर्मचारी ने उतराधिकारी का नामान्तकरण संख्या 147 में परमेश्वर पुत्र जोगाराम का नाम गलत अंकित कर दिया गया। अन्त में निवेदन किया कि खातेदारी भूमि में नामान्तकरण संख्या 147 को निरस्त कर जोगाराम की भूमि में उसका पुत्र बगदाराम तथा पत्नी जमूडी की खातेदारी घोषित कर राजस्व रेकर्ड में 1/16—1/16 हिस्सा दर्ज किया जावें। तथा जोगाराम पुत्र पुनाराम की खातेदारी भूमि में से परमेश्वर पुत्र जोगाराम का नाम हटाया जावें। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी बगदाराम ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी बगदाराम का आधार कार्ड, पहचान पत्र, तथा जमूडी पत्नी जोगाराम का आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि पेश किये है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर नामान्तकरण संख्या 147 खसरा नम्बर 1488 ग्राम पटेलनगर की नकल, जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 ख[illegible] 1488 की नकल तथा नामांतकरण संख्या 185 [illegible] संवत् 2074 से 2077 खसरा नम्बर 567, 568, 56[illegible]71, 572, 573, 575 ग्राम हरियाढाणा तथा कार्यालय ग्राम पंचायत पटेलनगर द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया है। तथा वादी ने अपने वाद के समर्थन में गवाह पी.डब्लू. 2 रणवीर सिंह पूर्व सरपंच ग्राम	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:18 IST
Reason: SelfAttested

	पंचायत हरियाढाणा के बयान कलमबद्ध करायें गये। तथा प्रतिवादी परमेश्वर के बयान कलमबद्ध किये गये तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरे पिता की भूमि में परमेश्वर पुत्र जोगाराम का नाम गलत दर्ज कर दिया गया है इस कारण म्यूटेशन को निरस्त कर परमेश्वर पुत्र जोगाराम का नाम हटाया जाकर राजस्व रेकर्ड में हिस्सा शुद्धि किया जावें। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादीगण ने नामान्तकरण संख्या 147 आदि की उक्त अपील सक्षम न्यायालय में पेश नहीं की है इस कारण वादीगण का दावा खारिज किया जाता है वादीगण नया दावा अथवा अपील पेश करने हेतु स्वतत्र रहेंगे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम घाणामगरा में खुले में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा	

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प पटेल नगर

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी **बनाम** **प्रतिवादी**

1. बगदाराम पुत्र जोगाराम
2. जमूडी पत्नी जोगाराम

जातियान मेघवाल निवासी हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

1. परमेश्वर पुत्र बंशीलाल जाति मेघवाल निवासी हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:18 IST
Reason: SelfAttested

2. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :— 159/2021

निर्णय **दिनांक** :— 18.11..
2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या—1 स्वयं, प्रतिवादी संख्या—2 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"I होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण ने नामान्तकरण संख्या 147 आदि की उक्त अपील सक्षम न्यायालय में पेश नहीं की है इस कारण वादीगण का दावा खारिज किया जाता है वादीगण नया दावा अथवा अपील पेश करने हेतु स्वतत्र रहेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज — **मुबलिग** — **बाबत्** —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.11.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:18 IST
Reason: SelfAttested